कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला– होशंगाबाद (म.प्र.)
(फोन– 07574–253655, E-mail- dcourthos-mp@nic.in)

परिपत्र

क्रमांक 847/दो–1–8/19 होशंगाबाद दिनांक 28.07.2020

प्रति,

(1) समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण, जिला होशंगाबाद
(2) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद (म.प्र.)
(3) प्रस्तुतकार, जिला न्यायाधीश होशंगाबाद (म.प्र.)

विषयः– कर्त्तव्यस्थल पर अन्य स्थान से आना–जाना करने वाले शासकीय सेवकों के संबंध में।

––00––

मेरे ध्यान में लाया गया है कि कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण से बचने के लिए अनेक परिपत्र जारी करने के बावजूद भी इस न्यायिक जिला स्थापना पर कुछ शासकीय सेवक अपने कर्त्तव्य स्थल पर अन्य स्थान से आकर सेवा देते हैं तथा कर्त्तव्य उपरांत अन्य नगर प्रस्थान कर निवास करते हैं। वर्तमान समय में इससे कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने की आशंका भी बढ़ जाती है।

शासकीय सेवकों को ऐसा कृत्य अशोभनीय है जो कि उनके सेवा नियमों के विपरीत होकर नियमों का निरंतर उल्लंघन हो, ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में निहित प्रावधान लागू होकर अनुशासनिक कार्यवाही योग्य हैं। इसके अलावा कोविड–19 के अंतर्गत् माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के परिपत्र एवं आदेशों को कड़ाई से पालन करने के लिए प्रसारित किये जाने के बावजूद स्थापना के कोई भी शासकीय सेवक ऐसा करते पाए जाने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को सूचित करने योग्य हैं।

इस न्यायिक जिला स्थापना पर पदस्थ समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान निवास के संबंध में तीन दिवस के अंदर स्वयं का शपथ पत्र पेश करें जहां वे निवास कर रहे हैं एवं वे अपने पदीय कर्त्तव्य मुख्यालय को छोड़कर बिना अनुमति के अन्य स्थान/नगर जाना पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर अनुशासकनिक कार्यवाही के अलावा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर सूचित किया जावेगा।

इस परिपत्र का कढ़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

28.7.20

(चन्द्रेश कुमार खरे)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद

पृष्ठांकन कमांक 848/दो–1–8/19 होशंगाबाद दिनांक 28.07.2020

प्रतिलिपि,

(1) समस्त अनुभाग, प्रभारी अधिकारीगण, जिला होशंगाबाद (म.प्र.) की ओर समस्त शासकीय सेवकों को सूचित किये जाने एवं किसी कर्मचारी के द्वारा उक्त कृत्य करते हुए पाये जाने पर सूचित करने बावत्।

(2) प्रशासनिक अधिकारी/जिला नाजिर होशंगाबाद की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(3) सिस्टम ऑफीसर होशंगाबाद की ओर भेजकर निर्देश है कि समस्त संबंधितों को ई–मेल/व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करें एवं परिपत्र की प्रति होशंगाबाद जिले की वेबसाईट पर अपलोड करें।

(4) समस्त तृतीय व चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों की ओर पालनार्थ प्रेषित हो। 28/7/20

28.7.20

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद(म.प्र.)

शपथ–पत्र

शपथगृहिता(नाम) ....

पिता/पति का नाम ....

निवास स्थान ....

मैं...उम्र...............

पदनाम...वर्तमान पदस्थापना का पद.......................................

न्यायालय/अनुभाग का नाम..स्थान..........................जिला होशंगाबाद

शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं कि मेरा वर्तमान निवास...

....

है तथा मैं अपने कर्तव्य स्थल..पर शासकीय सेवा करते हुए उक्त पते पर स्थित आवास पर निवास करता हूं।

मेरे आवास पर संस्थित लेंडलाईन दूरभाष कमांक(यदि हो तो)...................

एवं माता/पिता/मकान मालिक का दूरभाष/मोबाईल नम्बर......................................है।

शपथग्रहिता के हस्ताक्षर

सत्यापनकर्ता

न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा अनुभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा सत्यापनार्थ

हस्ताक्षर..

दिनांक..

नाम अधिकारी..

पदमुद्रा...